[Extract from Haryana Government (Extra.), dated the 30th May, 2014]

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th May, 2014

No. PF/70/ 11349.- The following draft of the rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2014.
2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 (hereinafter called the said rules), in rule 4,-
   (i) in sub-rule (1), after the words ‘Industrial colony’, the words ‘or low-density- eco friendly colony’ shall be inserted;
   (ii) after sub rule (2), the following sub rule shall be inserted, namely:-
   “(3) In the layout plan of a low-density eco-friendly colony, the land reserved for common uses viz., roads, open spaces, solar farms, bio-gas plant, compost plant and other common uses shall not be less than 20% of the gross area of the land under the colony:
   Provided the open space shall not be less than five percent of gross area and shall not be used for any other common purpose such as for solar farms, bio-gas plant or compost plant.’’.
3. In the said rules, in rule 5,
   (i) for the sign “.” at the end, the sign “:” shall be substituted;
   (ii) after clause (f), the following proviso shall be added , namely:-
   “Provided that in case of a low-density eco-friendly colony, installation and development of solar farm, compost plant, sewerage treatment plant and bio-gas plant as per specified norms and specifications at sites approved in the layout plan shall also constitute part of development works.”.

4. In the said rules, in rule 8,in sub-rule (2), after the words 'at the rate of', the words 'twenty rupees per square meter, calculated for the gross area of the land, under low-density eco-friendly colony,' shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 11 after sub-rule(2), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(3) In case of an application for grant of licence for low-density eco-friendly colony, the applicant shall additionally undertake to-

(a) install solar farms aiming for meeting energy requirements of the colony through solar energy, in accordance with the technical parameters specified by the Director, on at least five percent of the area of the colony that shall be in addition to the five percent area reserved for open spaces;

(b) provide integrated facility for storage, purification, distribution and recycling of storm-water aiming for no external source of water supply, minimum ground water extraction and zero run-off. Independent distribution system for separately fulfilling the farming, flushing and domestic water requirements shall also be provided;

(c) install a bio-gas plant aimed at fulfilling requirements for cooking gas and a compost plant for utilizing and recycling of all bio-degradable waste, in accordance with the technical parameters specified by the Director; and,

(d) restrict the residential density of the colony to a maximum of twenty five persons per acre.".

6. In the said rules, in the 'Schedule', under column 1,2,3,4,5 and 6, after existing item "Industrial" at the end, the following item and entries there against shall be added, namely:-

"Low-density Eco-friendly colony	20	-------	15	10	2.".

7. In the said rules, in Schedule-A, after serial number 5 and entries there against, the following serial numbers and entries there against shall be added, namely:-

"6	Low-density Eco-friendly colony	1000	750	500	140.".

T.C. Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

[Extract from Haryana Government (Extra.), dated the 30th May, 2014]

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग,

अधिसूचना

दिनांक 30 मई, 2014

संख्या पी.एफ. 70/ 11349.– हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में, प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात्, सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से इन नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 (जिसे, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में,–

(i) उपनियम (1) में, ''औद्योगिक उपनिवेश'' शब्दों के बाद, ''या निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

'' (3) निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश की अभिन्यास योजना में, सामूहिक उपयोगों अर्थात् सड़कों, खुले स्थानों, सोलर फार्मों, बायो–गैस संयन्त्र, कम्पोस्ट संयन्त्र तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि उपनिवेश के अधीन भूमि के सकल क्षेत्र की बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी :

परन्तु खुला स्थान सकल क्षेत्र के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा किसी अन्य सामूहिक प्रयोजन जैसे कि सोलर फार्म , बायो–गैस संयन्त्र या कम्पोस्ट संयन्त्र के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, –

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (च) के बाद निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश की दशा में, अभिन्यास योजना में अनुमोदित स्थलों पर विनिर्दिष्ट मानकों तथा विशिष्टियों के अनुसार सोलर फार्म, कम्पोस्ट संयन्त्र, मल–जल उपचार संयन्त्र तथा बायो–गैस संयन्त्र की संस्थापन तथा विकास, विकास कार्यों का भाग भी बनेगा।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप–नियम (2) में, 'की दर पर' शब्दों के बाद 'निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश के अधीन भूमि के सकल क्षेत्र के लिए संगणित बीस रुपए प्रति वर्ग मीटर' शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप–नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप–नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(3) निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन की दशा में आवेदक निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त रूप से आश्वासन देगा :–

(क) उपनिवेश के कम से कम पांच प्रतिशत क्षेत्र पर जो खुले स्थलों के लिए आरक्षित पांच प्रतिशत क्षेत्र के अतिरिक्त होगा, निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी मापदण्डों के अनुसार सौर उर्जा के माध्यम से उपनिवेश की उर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्देश्य हेतु सोलर फार्म लगाने ;

(ख) जल आपूर्ति, न्यूनतम भूमिगत जल निष्कर्षण तथा शुन्य पानी बहने के बाहरी स्रोत ने होने के उद्देश्य हेतु वर्षा–जल के भण्डारण, शुद्धिकरण, वितरण तथा रिसाइकलिंग के लिए एकीकृत सुविधा मुहैया कराने । खेतों, प्रक्षालन तथा घरेलू जल आवश्यकताओं को पृथक रुप से पूरा करने के लिए स्वतंत्र वितरण प्रणाली भी मुहैया कराई जाएगी ;

(ग) निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कुकिंग गैस तथा उपयोग करने के लिए कम्पोस्ट संयन्त्र तथा सभी बायो डीग्रेडएबल अपशिष्ट की रिसाइकलिंग के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से बायो–गैस संयन्त्र लगाने; तथा

(घ) अधिकतम पच्चीस व्यक्ति प्रति एकड़ से उपनिवेश की आवासीय सघनता प्रतिबन्धित करने।''।

6. उक्त नियमों में, अनुसूची में खाना 1, 2, 3, 4, 5, तथा 6 के नीचे ''औद्योगिक'' मद तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद अन्त में निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियाँ दी जांएगी, अर्थात् :–

"निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश	20	-------	15	10	2 " ।

7. उक्त नियमों में, विद्यमान ''अनुसूची क'' में संख्या 5 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के क्रम बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ जोड़ी जांएगी, अर्थात् :–

"6	निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल उपनिवेश	1000	750	500	140 " ।

टी.सी. गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।